

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल सीहोर, रायसेन मध्यप्रदेश

ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी भोपाल 462016

E-mail : Bhopal @mptownplan.gov.in

क्रमांक बीपीएलएलपी-3546/एल पी 102/29/नग्रानि/जिका/2017 भोपाल,दिनांक / 2018
प्रति,

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषय :- ग्राम-जाटखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक-(1). 72/1/1, (2). 72/1/2, (3). 72/1/3, (4). 72/2/2/ख, (5). 72/2/2/क (6). 72/2/2/ग (7). 72/2/2/ड (8). 72/3/1 (9). 72/3/2 (10). 72/3/3 (11). 72/3/4 (12). 72/3/5 (13). 72/3/6 (14). 72/3/7 (15). 72/4/1/ज (16). 72/4/1/घ (17). 72/क/1 (18). 72/क/2 (19). 72/5/1/1 (20).72/5/1/8,73/171/72, (21). 72/1/ख,73-171/72/4, (22) 72/1/क, (23). 10/2/2 [(पी-II फार्म अनुसार) (1). 72/1/1,73,171/72/1/1 (2). 72/1/2,73, 171/72/1/2, (3). 72/1/3,73,171/72/1/3 (4). 72/2/2/ख,73,171/72, (5). 72/2/2/क, 73,171/72, (6). 72/2/2/ग,73,171/72, (7). 72/2/2/ड,73,171/72 (8). 72/3/1,73,171/72, (9). 72/3/2,73,171/72, (10). 72/3/3,73,171/72 (11). 72/3/4,73,171/72 (12). 72/3/5, 73,171/72, (13). 72/3/6,73,171/72 (14). 72/3/7,73,171/70 (15).72/4/1/ज,73,171/72 (16). 72/4/1/घ,73,171/72 (17). 72/क/1,73,171/72क,72,73,73,171/72क,72,73,171/72 (18). 72/क/2,73,171/72/क, 72,72-171/72, (19). 72/5/1/1, (20).72/5/1/8, 73/171/72, (21). 72/1/ख, 73-171/72/4, (22). 72/1/क (23). 10/2/2] कुल रकबा 3.105 हेक्टेयर में से 1.081 हेक्टेयर (10810.00 वर्गमीटर) पर बहु इकाई आवासीय विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

परियोजना का नाम :- " सागर पर्ल, फेस-II"

संदर्भ :- प्रभारी कालोनी प्रकोष्ठ, नगर निगम, भोपाल का पत्र क्रमांक-2350/का.प्र.को./2016 भोपाल,दिनांक 07.10.2016 एवं आपका आन लाईन आवेदन दिनांक 10.4.2017

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम-जाटखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक-(1). 72/1/1, (2). 72/1/2, (3). 72/1/3, (4). 72/2/2/ख, (5). 72/2/2/क (6). 72/2/2/ग (7). 72/2/2/ड (8). 72/3/1 (9). 72/3/2 (10). 72/3/3 (11). 72/3/4 (12). 72/3/5 (13). 72/3/6 (14). 72/3/7 (15). 72/4/1/ज (16). 72/4/1/घ (17). 72/क/1 (18). 72/क/2 (19). 72/5/1/1 (20).72/5/1/8,73/171/72, (21). 72/1/ख,73-171/72/4, (22) 72/1/क, (23). 10/2/2 [(पी-II फार्म अनुसार)(1). 72/1/1,73,171/72/1/1 (2). 72/1/2,73, 171/72/1/2, (3). 72/1/3,73,171/72/1/3 (4). 72/2/2/ख,73,171/72, (5). 72/2/2/क, 73,171/72, (6). 72/2/2/ग,73,171/72, (7). 72/2/2/ड,73,171/72 (8). 72/3/1,73,171/72, (9). 72/3/2,73,171/72, (10). 72/3/3,73,171/72 (11). 72/3/4,73,171/72 (12). 72/3/5, 73,171/72, (13). 72/3/6,73,171/72 (14). 72/3/7,73,171/70(15).72/4/1/ज,73,171/72 (16).72/4/1/घ,73,171/72 (17). 72/क/1, 73, 171/72क, 72, 73, 73, 171/72क, 72, 73, 171/72 (18). 72/क/2,73,171/72/क, 72,72-171/72, (19). 72/5/1/1, (20). 72/5/1/8, 73/171/72, (21). 72/1/ख, 73-171/72/4, (22). 72/1/क (23). 10/2/2] कुल रकबा 3.105 हेक्टेयर में से 1.081

हेक्टेयर (10810. वर्गमीटर) जिसका भोपाल विकास योजना 2005 भूमि उपयोग "प्रस्तावित आवासीय, वृक्षारोपण, नहर एवं मार्ग" निर्दिष्ट है, पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त आवेदिका श्रीमती किरण अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल द्वारा भागीदारी मेसर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शंस, 250 सागर प्लाजा जोन-2 एम. पी. नगर, भोपाल का आवेदन के संबंध में आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय बहु इकाई विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 की सारणी क्रमांक 4-सा-2 (अ) एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) के प्रावधानों अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-
 1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959
 2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं उसके अंतर्गत तैयार आदर्श उपविधियों व तत्संबंधी नियम।
 3. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1998
 4. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल।
 5. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
 6. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल।
 7. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल।
 8. नजूल अधिकारी, भोपाल।
 9. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास के स्थिति में)।
 10. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल।
 11. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
 12. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
3. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग /रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
4. भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
5. भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम ओ एस रखे जावे।
बहुमंजिला भवन में सामने से 9.0 मीटर, पीछे से 6.0 मीटर (न्यूनतम), दायें से 6.0 (न्यूनतम) मीटर एवं बायें से 6.0 मीटर (न्यूनतम)।
6. एफ.ए.आर 1: 1.25 (एक अनुपात एक दशमलव दो पांच) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम उंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (24.0 मीटर + स्टिल्ट पार्किंग+बेंसमेंट पार्किंग)
7. पार्किंग (ब्लॉक **A + B**) :- बहु इकाई आवास हेतु एक ई सी एस प्रति 100.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 152 ईसीएस की व्यवस्था करना होगा, जो कि (स्टिल्ट 1+ स्टिल्ट 2) में 30 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 112 ईसीएस, बेंसमेंट में 35 प्रति कार के मान से 40 ईसीएस का प्रावधान किया गया है।।
8. परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
9. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4, में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना

- अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।
10. भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और व मोटर के आने जाने योग्य होना आवश्यक होगी।
 11. दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भूखण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो। प्रवेश द्वार फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में बाहरी पहुंच मार्ग निर्बाध हो यदि मुख्य प्रवेश द्वारा अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर रखना होगी।
 12. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट, ओव्हर, हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
 13. सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
 14. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
 15. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
 16. भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित बहु इकाई आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
 17. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
 18. सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कॉलोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
 19. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
 20. इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 10.04.2017 के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम, 1998 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।
 21. प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी की कुल $48+104=152$ (ब्लॉक A + ब्लॉक B) इकाईयों प्रस्तावित है प्रस्तावित कमजोर आय वर्ग के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम, 1998 के नियम 10 अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानुसार बहु इकाई आवासीय योजना हेतु एल. आई. जी. हेतु 36.0 से 45.0 वर्ग मीटर के 9 आवासीय इकाईयों एवं ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 25.0 से 35.0 वर्गमीटर के 14 आवासीय इकाईयों का प्रावधान किया गया है। कृपया कालोनाइजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में इस बावत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही

- सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
23. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 04.05.2017 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।
 24. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख वर्तमान में निर्मित मार्ग को नियोजन के दृष्टि से 24.0 मीटर रखना होगा। अतः मार्ग मध्य से 12.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा।
 25. विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जाये। इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरान्त ही विकास अनुमति जारी की जाये।
 26. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
 27. **मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन हेतु शल्क रूपये 5000/-चालान क्रमांक- MPT021706042017000019 दिनांक 06.04.2017 एवं चालान क्रमांक (सी.आर. एन)- MPT0217060420182018000046 दिनांक 06.04.2018 सायवर ट्रेजरी विकास अनुज्ञा शुल्क 81,500/-चालान क्रमांक(सी.आर.एन)- MPT021713042018000039 दिनांक 13.04.2018 सायवर ट्रेजरी द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।**
 28. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
 29. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे, इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
 30. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
 31. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
 32. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
 33. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
 34. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
 35. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
 36. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
 37. प्रस्तावित योजना में पहुँच मार्ग हेतु कोई भी विवाद होता है तो वह संस्था के स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
 38. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे।
 39. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

40. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
41. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक-956/02/भोविप्रा/2015 भोपाल, दिनांक 14.08.2015 द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
42. कार्यालय जिलाध्यक्ष (नजूल शाखा) भोपाल, के प्रकरण क्रमांक-116/नजूल/बी-121/10-11 दिनांक 13.12.2010 द्वारा जारी अनापत्ति कर समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
43. नाले के किनारे से (राजस्व अभिलेख में दर्ज) नियमानुसार हरित क्षेत्र (खुला) रखना अनिवार्य होगा। नाले/नहर पुलिया/कल्वर्ट तैयार/बनाने में पूर्व संबंधित विभाग के समक्ष प्राधिकारी से लिखित अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
44. आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम " सागर पर्ल फेस-II" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
45. मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
46. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल –सीहोर–रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक: बीपीएलएलपी-3546/एल पी 102/29/नग्रानि/जिका/2018 भोपाल,दिनांक /2018
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बेंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश भोपाल (कम्प्यूटर कक्ष), नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है:: की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

8. आवेदिका श्रीमती किरण अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल द्वारा भागीदारी मेसर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्संस, 250 सागर प्लाजा जोन-2 एम. पी. नगर, भोपाल को प्रश्नाधीन भूमि पर प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें तथा समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.